न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन भू –अभिलेख अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश कुमार आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 241 / 2022

जी.सी.एम.एस. न.– 2022 / 365

[illegible]र्थीगण

1. दमयन्ती पत्नी हुकमाराम
2. दिनेश कुमार पुत्र सोमाराम
3. पवनी पत्नी देवाराम
4. सुदंर पत्नी नेनाराम सभी जातियान मेघवाल, सभी निवासीयान गोल सोढा तहसील पचपदरा।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. कमला देवी पत्नी समरथाराम
2. किशनाराम पुत्र नारणाराम
3. खमादेवी पत्नी नारणाराम
4. खीमाराम पुत्र नारणाराम
5. भूराराम पुत्र धारूराम
6. सवाईराम पुत्र समरथाराम, नाबालिंग जरिये संरक्षक माता कमलादेवी पत्नी समरथाराम सभी जातियान मेघवाल
7. केसाराम पुत्र खेताराम
8. कालीदेवी पत्नी राणाराम
9. गोविन्दराम पुत्र राणाराम
10. दमाराम पुत्र राणाराम
11. धापूदेवी पत्नी खेताराम
12. मगाराम पुत्र खेताराम
13. मोहनराम पुत्र राणाराम
14. गोसाईराम पुत्र हरचन्दराम
15. तुगीदेवी पत्नी हरचन्दराम
16. पूराराम पुत्र सोनाराम
17. भेराराम पुत्र सोनाराम
18. राजूराम पुत्र हरचन्दराम सभी जातियान जाट
19. ज्वाराराम पुत्र हरजीराम
20. धिंगडमल पुत्र हरजीराम
21. बंशीलाल पुत्र हरजीराम
22. बाबूलाल पुत्र हरजीराम स[illegible]
23. खेता पुत्र मूला
24. खरता पुत्र मूला
25. धर्मा पुत्र मूला
26. नवला पुत्र मूला
27. मनोहर पुत्र दलाराम नाबलिंग जरिये सरक्षंक माता हवीया देवी जाति मेघवा[illegible]
28. हवीयादेवी पत्नी दलाराम जाति मेघवाल
29. गेनसिंह पुत्र केसरसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:12:51 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

30. नरपतसिंह पुत्र केसरसिंह
31. शैतानसिंह पुत्र केसरसिंह सभी जातियान राजपूत
32. गोरखाराम पुत्र रावताराम
33. भुतराराम पुत्र रावताराम
34. मांगाराम पुत्र रावताराम
35. रहिमाराम पुत्र रावताराम सभी जातियान मेघवाल.
36. हुकमा पुत्र खेता जाति जाट सभी निवासीयान गोल सोढा तह पचपदरा जिला बाडमेर ।
37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्

अधिवक्तागण :– 1. श्री अचलाराम थोरी प्रार्थी वकील
2. विप्रार्थीगण 1 ता 36 एकपक्षीय
3. विप्रार्थी संख्या, 37 तहसीलदार पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

'आदेश'

दिनांक :– 08.09.2023

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा गोल सोढा पटवार क्षेत्र गोल तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा मूल खसरा संख्या 196 अवस्थित रहा है वक्त सेटलमेन्ट खसरा संख्या 196 का कुल रकबा 252 बीघा रहा है, जो मौका व नक्शे अनुसार सम्पूर्ण रूप से अवस्थित रहा, तदोपरान्त खसरा संख्या 196 के तरमीमी खसरान बने है । प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 356/196 है, उक्त खसरा की अशुद्ध तरमीम की दुरस्ती हेतु वर्तमान प्रार्थना पत्र खसरा संख्या मूल 196 के जमाबदी खतौनी मे बने तरमीमी खसरान की मौके के कब्जा काश्त अनुसार माफिक खतोनी मे दर्ज रकबानुसार करने हेतु तथा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी एवं बिना विविध प्रकिया के बिना प्रभावित पक्षकरो खातेदारो की सुनवाई सबुत का अवसर दिये सभी खसरान की गई दर्ज तरमीम की प्रविष्टियां को हटाने हेतु प्रस्तुत किय[illegible] रहा। क्योकि खसरा संख्या 358/196 की वर्तमान लटटा ट्रेस मे की गई तरमीम यथाव[illegible] से मौके पर प्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 की भूमि मे दखल की स्थित उत्पन्न हो [illegible] है। मौके पर दिनांक 29.04.2022 को प्रार्थीगण के खातेदारी के खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान आदेश प्राप्त कर दिनांक 20.6.2022 को सीमा ज्ञान करवाया, तो उक्त तथ्य की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:12:51 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

गई कि इसीलिये मौजा सोढ़ा के मूल खसरा संख्या 196 में मौके कब्जे के विपरीत गलत एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से की गई तरमीम खसरा संख्या 356/196 को हटाया जाकर खसरा संख्या 356/196 की तरमीम जमाबंदी में दर्ज रकबे एवं मौके पर काबिज खातेदारान खातेदारों के कब्जे अनुसार तरमीम नक्शा लट्ठा हेतु अनुसार कायम करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 ता 38 बावजूद समन तामील गैर हाजिर रहने के कारण उनके विरुद्ध अदम हाजरी अदम पैरवी में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 39 की ओर से तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम मौजा सोढ़ा के मूल खसरा संख्या 196 कुल रकबा 282 की मौके की स्थिति लट्ठे में की गई तरमीम अनुसार मेल नहीं खा रही है फर्द में संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम की जाए तो रेकार्ड एवं मौका अनुसार सभी खातेदारों का रकबा पूर्ण हो जाएगा। परिशिष्ट "ब" में लाल पेन तरमीम लट्ठा अनुसार है तथा हरा रंग पेन से तरमीम सही प्रस्तावित है। खसरा संख्या 355/196 का मौका अनुसार तथा प्रस्तावित अनुसार पूरा कब्जा परिलक्षित हो रहा है।

तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनी गई व तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट व पत्रावली में प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष तथा तहसीलदार पचपदरा के प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों की पारस्परिक समानता [illegible] होती है जिससे किसी संबंधित पक्षकार को एतराज [illegible] अड़चनों की संभावना को मद्देनजर रखते हुए मूल खसरा संख्या 196 के विभक्त [illegible] की तरमीम तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित नक्शे अनुसार की गयी उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh K
Date: 2023.10.25 19:12:51 I
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भलीभांति साबित होने एवं सरवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा मूल खसरा संख्या 196 मौजा गोल सोढा पटवार मण्डल गोल तहसील पचपदरा के विभक्त खसरों की तरमीम, मूल खसरा संख्या 196 की बाहरी सीमा को परिवर्तित किए बिना तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट "ब" के अनुसार किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार पचपदरा तदनुसार राजस्व नक्शा लट्ठा मे तरमीम अंकन उपरान्त पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । मिसल इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखित दफतर हो ।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.09.2023 को सर–ए–इल्जास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:12:51 IST
Reason: SelfAttested